

14.30 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

**FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT
INSTITUTE BILL, 2017 ... Contd.**

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** I beg to move :

“That the Bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products design and development and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आपको बिल के संदर्भ में कुछ बोलना है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Thank you, Sir.

As many of the hon. Members will be aware, the Footwear Design and Development Institute was established in 1986. The objective of this Institute was very clearly to expand the activities of the leather industry and give it the necessary impetus by providing an institution, which can give design and suggestions, and also build the capability among people who will be the essential skilled workforce for the leather industry.

The campuses were set up and, today, we have seven of them doing extremely well from the point of view of providing skills and a Diploma at the end of the course, and based on which you have students qualifying for design and development of leather and leather goods. It is not just footwear, but leather-based other accessories and professional wear that can be produced.

Now, this set of institutions, which are seven all across the country, have been doing exemplary work and the students have been given good opportunity and they have been recruited through campus recruitments for very good assignments in leather-related industry. The courses are wide and varied. They look at retail marketing capabilities; they look at technology development; and they look at tools and implements, which are required for production of leather-based commodities. The course has had a wide base as a result of which the course itself is considered to be a very comprehensive one.

Today, we are here to put it to the consideration of the hon. Members and, through you, I would like to state that the hon. Members consider providing institute of national importance stature for this set of institutions, which are at the moment in seven different places.

Together with it, there are more than 40 training centres, which are all over the country, which prepare trainers who can train students in different institutions about the art of treating leather and leather being used as a raw-material for production of certain goods whether they are footwear, jackets, wallets, belts or any other accessory. Together with the institution, we also have training centres, which have state-of-the-art facility in training trainers who can then go into the market and help in building capacities.

I would like to quickly draw the attention of the Members about its curricular capability. It was initially running courses by itself and later got affiliated to the Indira Gandhi National Open University.

Now, the institutions are present all over the country as I said. Only a national university could certify courses. However, although the Indira Gandhi National Open University was giving the degrees, these courses are *in situ* courses, in the sense that they are classroom-based courses in the campuses in which they are held. In 2012, for some reason, the Indira Gandhi National Open University

said that it could no longer provide the certification and the degrees for these students because they can only now do distance education and could not provide for classroom based courses, and without adequate notice, that certification process attached to the IGNOU was stopped.

The FDDI, at that time, keeping the developed exigency in mind, put a tender call to see if there would be any university which can affiliate the FDDI and, on the basis of the advertisement, shortlisted a set of universities. At the end of the day, Mewar University in Rajasthan agreed to get the FDDI associated and affiliated to itself and start providing the certification. Unfortunately, although this had happened in 2012, by 2014, the University Grants Commission came to see the development and said that it was completely untenable because as a university, Mewar, which was located in Rajasthan, could at best only deal with institutions which are located in Rajasthan and not certify courses which are being held in different institutions all over the country. Since then, there has been an attempt in 2014. Our Prime Minister placed a lot of emphasis on skill development and looked at the potential that this FDDI had. We did not want the students to suffer. From then, the attempt from the Prime Minister's Office and from us has been to see as to what will be the way in which we can get these students a certification from a proper university. We even tried looking at the prospects of getting them a deemed university status if that was workable. Having tried several of these, we have now realised that the only way in which the stature of the institution can be kept up and also the curriculum content could be maintained at the level, as it is, is completely self-financing set of courses.

The only way in which we thought the course content and the level at which this institution can function can be maintained is by seeking Parliament's approval to give it the stature of the institute of national importance. That is why we are here before you recognising the importance of skill component that this

institution offers not just through the existing seven, there are five of them more to come, new ones to come. Other than these campuses, there are centres through which skill development courses are being conducted, as I said, for the trainers based on the importance of skill development and job opportunity creation.

It is submitted to the consideration of the hon. Members that this Bill seeking Parliament's approval to give FDDI the stature of national importance is favourably considered by all the hon. Members and the matter is taken favourably. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“That the Bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products design and development and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, आज मंत्री जी फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017 लेकर आयी हैं। आप कह सकती हैं कि इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट वालों को रोजगार मिलेगा, जिनके पास पहले से हुनर है, हमारे कारीगर हैं, हमारे बुनकर हैं, जूते बनाने वाले लोग हैं, कोल्हापुरी जूते बनाने वाले लोग हैं, वे अपना काम करते हैं, शायद आप उनको ऑर्गनाइज करके अच्छी तरह से और दो रुपए कमाने का साधन देंगे। बिल पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो मंशा है, मंत्री जी की मंशा अच्छी हो सकती है लेकिन आपकी गवर्नमेंट की मंशा सही है और किस लिए है, क्योंकि एक तरफ आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बिल के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके मुख्य मंत्री के आवास में लैदर से बनी जो चीजें हैं, उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप देश में चमड़े से बनी चीजों की मार्केटिंग करेंगे? आज ज्यादातर बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है। कानपुर में गंगा नदी के नाम पर छोटी-छोटी चमड़े की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। आप एक तरफ शाकाहारी भारत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लैदर को प्रोजेक्ट करने की बात कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि पूरा भारत शाकाहारी हो जाए? लैदर को पहनने की हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमारे देश में लैदर व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, क्या वे पाप कर रहे हैं? हम स्वयं

तो पाप नहीं करेंगे, तो क्या ज्यादा से ज्यादा चमड़ा इम्पोर्ट किया जाएगा? जैसा मंत्री महोदया कह रही थीं कि केवल फुटवियर ही नहीं, बल्कि डिजाइनर वॉलेट, बैल्ट, जैकेट आदि भी बनाई जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि वह चमड़ा व्यवसाय के साथ है या नहीं है या कहीं आपस में ही कोई विरोधाभास तो नहीं है। यह बहुत अहम बात है कि हम रॉ मैटीरियल कहां से लेंगे। अगर हम सारा रॉ मैटीरियल इम्पोर्ट करेंगे, तो कहीं इसमें षड्यंत्र तो नहीं है कि विदेशी कम्पनियों को ही प्रोजेक्ट करना है। कहीं विदेशी कम्पनियों के साथ तो कोई साठ-गांठ तो नहीं है? क्या हम अपने देश के लैदर को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे और अपने चमड़ा उद्योग के कारीगरों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे?

महोदय, यह कहा गया कि छोटे-छोटे चमड़ा उद्योग को, इससे जुड़े स्किल डेवलपमेंट को, युवाओं को हम जोड़ेंगे, लेकिन नोटबंदी की वजह से छोटे लघु उद्योग जो चमड़े के जूते बनाते हैं, जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनका काम ठप हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार दोनों रास्ते लेकर कैसे चल सकती है।

महोदय, तीसरी बात यह है कि विदेशी फुटवियर का दबदबा हमारे देश में बहुत ज्यादा है और प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। मुझे इस संबंध में कोई ठोस योजना नहीं दिखाई दे रही है। आपने डिजाइनर फुटवियर की बात कही है, जैसे मोज़री, जूती, खड़ाऊ, हमारे देश में ये सामान पंजाब, आगरा, कानपुर में बनता है, क्या इन राज्यों से भी आप बात करेंगे।

महोदय, मेरा एक प्रश्न यह है कि लैदर के साथ-साथ जो इको फ्रेंडली फुटवियर है, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे और लोगों में कैसे जागरूकता फैलाई जाएगी। हमारे देश में फैब्रिडिया, अनोखी, किलोट आदि स्टोर्स हैं, लेकिन बहुत अमीर लोग ही परचेज करते हैं और पहनते हैं। आप देख सकते हैं कि मेक्सिमम परसेंटेज पर इको फ्रेंडली चीजें नहीं जाती हैं, तो उनकी मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? क्या आप सिर्फ लैदर को ही बढ़ावा देंगे या जैसे हमारी कोल्हापुरी जूती है, पंजाबी जूती है, राजस्थानी जूती है, मोज़री है, खड़ाऊ है, इनके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे?

महोदय, फुटवियर एक बहुत बड़ा सैक्टर है और विदेशी कम्पनियां इसमें बहुत आगे हैं। यह एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है। इस सैक्टर को हम कैसे आर्गेनाइज्ड करें, इस बारे में भी कोई विशेष प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। खादी ग्रामोद्योग हमारे सामने है, उसकी दशा किसी से छिपी नहीं है। आप मेट्रो सिटीज को देख सकते हैं। बिहार में दस-पन्द्रह साल से जो खादी ग्रामोद्योग बंद हैं, वे दोबारा खुल सकें, उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। फुटवियर सेक्टर के द्वारा बहुत-से लोगों को लाभ दे सकते हैं बशर्ते इसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। चमड़ा उत्पादकों को क्या सुविधाएं देंगे, ग्रामीण

अंचलों में जो छोटे-छोटे चमड़ा उत्पादक हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र के जूता निर्माताओं को क्या-क्या छूट दी जाएगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के जूता निर्माताओं के लिए मार्केटिंग की क्या व्यवस्था करेगी और उनके सामानों के निर्यात का वातावरण कैसे बनाएगी। पुश्तैनी कारीगरों, बुनकरों के साथ में मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकारों को जरूर जोड़ना चाहूँगी। अभी ट्रेनों में इसके कुछ पिक्चर्स मिल जाते हैं या इम्पोरियम में कुछ साड़ियों में दिखते हैं।

बहुत-से फुटवेयर्स ऐसे हैं, जिनमें डिजाइनिंग होती है, खासकर विदेशी ग्राहक हमारी ट्रेडिशनल कला की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। क्या मधुबनी पेंटिंग्स को भी आप फुटवेयर्स में यूज़ करेंगे?

एमाज़ोन एक कंपनी है, जिसके द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत-सी विदेशी कंपनियाँ एमाज़ोन के द्वारा विदेशों में हमारे महान लोगों की तस्वीरें, यहाँ तक कि हमारे देवी-देवताओं की तस्वीरों को भी फुटवेयर्स में यूज़ करते हैं। इस संबंध में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का एक बार स्टेटमेंट भी आया था। उन पर गांधी जी के स्टैम्प लगाये जाते हैं, भारत के फ्लैग का स्टैम्प लगाया जाता है, यहाँ तक कि बहुत-से देवी-देवताओं की तस्वीरों को भी यूज़ किया जाता है।

मेरा कहना है कि इंडिया में नहीं, बल्कि हमारे महान लोगों की तस्वीरें विदेशों में यूज़ करके वे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो इस विधेयक में कौन-सा कानून है, जो उसे रोक पाएगा।

आपने गवर्निंग काउंसिल में 15 मेम्बर्स और चेयरपर्सन के रूप में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी साइंटिस्ट को रखने की बात इसमें कही है। मेरा कहना है कि इसका दुरुपयोग होगा। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनकी मोनोपोली चलेगी। आपके बिल का मुख्य उद्देश्य, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा बेरोज़गार हैं, कुशल कारीगर हैं, पुश्तैनी हुनरमंद हैं, को लाभ पहुंचाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मोनोपोली से उनको कोई भी लाभ मिल पाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से, चेयरपर्सन की सीट पर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं रखना चाहिए।

फुटवेयर्स की प्राइस पर हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज एक नॉर्मल फुटवेयर, जो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, वे आठ सौ से नौ सौ रुपये तक के हैं। वे भी टिकाऊ नहीं होते हैं। वे दो-तीन महीनों में ही टूट जाते हैं। इसलिए इसके प्राइस को कंट्रोल करना जरूरी है।

यदि हमारी कंट्री का प्रोडक्ट होगा, होम प्रोडक्ट होगा, तो उसकी प्राइस और क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। आज क्वालिटी मेनटेन करना बहुत जरूरी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण बेरोज़गारों को, जिनके पास हुनर होते हुए भी काम नहीं है, उनको इससे लाभ मिले।

आपने कौशल विकास की बात तो की है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं है कि कौशल विकास से प्रशिक्षित लोगों को इसके द्वारा काम कैसे मिलेगा। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया गया है।

आज के बच्चे नाइकी, एडिडास, प्यूमा आदि विदेशी ब्रांड्स की बात करते हैं। इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करेंगे। यह बहुत जरूरी है। हम लोग जब शूज़, चप्पल, लेदर जैकेट, वॉलेट, बेल्ट आदि खरीदने जाते हैं, तो हर बच्चा, जिसके पास पैसे कम भी होते हैं, तो भी वह ब्रांडेड सामान ही लेना चाहता है, जिनमें मैक्सिमम विदेशी कंपनियाँ होती हैं। इसलिए चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ कह दें कि स्वदेशी अपनाओ। मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम क्वालिटी मेनटेन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कस्टमर उन चीज़ों को खरीदेगा, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं।

पेप्सी और कोक हमारे बाढ़ के दियारा इलाके में भी मिल जाता है, लेकिन शिकंजी, सत्तू और लस्सी, जो हैल्थ वाइज बहुत अच्छे ड्रिंक्स हैं, वे नहीं मिलते हैं। हमारी मार्केटिंग बहुत पुअर है। हम अपनी हैल्दी चीज़ों का प्रचार नहीं कर पाते हैं। जैसे पंजाबी जूते की बात हो या कोल्हापुरी चप्पल की बात हो, हम उन्हें खरीदते हैं, लेकिन हम उन्हें रेग्युलर नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हमारा पैर कट रहा है। **That is not comfortable.** विदेशी मार्केट इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि **first comfort, then designing.** मुझे लगता है कि हमें डिजाइनिंग के साथ ही कमफर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है और आज ग्राहक भी यह चाहता है कि उसकी चॉयस सुंदर दिखने के साथ-साथ कमफर्टेबल भी हो।

महोदय, आज गरीब व्यक्ति इंडियन प्रोडक्ट जैसे जूते-चप्पलें इसलिए खरीदता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वह इन्हें इसलिए खरीदने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास जब पैसा आता है, तो वह अपना होम-मेड प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वह टिकाऊ नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि हम क्वालिटी को भी मेंटेन करें।

महोदय, इस विधेयक के संबंध में मैं दूसरी बात यह कहूँगी कि इसमें जो इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, उनमें महिलाओं को जोड़ने का कोई आधार मुझे नहीं दिख रहा है। आज स्किल इंडिया के तहत गाँवों की जोड़ने की बात करते हैं। मैं कहूँगी कि आपको इसमें सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को भी किसी तरीके से जोड़ना चाहिए। मैं यहाँ थाइलैंड का एग्जाम्पल दूँगी। वहाँ नाइकी और एडिडास के शूज़ बनते हैं। वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनसे इन शूज़ की सिलाई का काम कराया जाता है। क्या आपके

विधेयक में ऐसी कोई स्कीम होगी जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स के कामों में थाइलैंड की तर्ज पर हमारे यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिल सके? इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, मैं अब सस्ते और नरम चमड़े के संबंध में कहना चाहूँगी कि हमारे प्रदेशों में अलग-अलग तरह के चमड़े मिलते हैं। कुछ जगहों पर सॉफ्ट चमड़ा मिलता है और कहीं पर हार्ड चमड़ा मिलता है। कहीं चमड़े की प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और कहीं चमड़े की थोड़ी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रदेशों को उनमें मिलने वाले चमड़े की क्वालिटी पर बाँटना चाहिए। जहाँ जिस प्रकार की क्वालिटी का चमड़ा है, उसके अनुसार इस काम का प्रशिक्षण वहाँ दिया जाना चाहिए। यदि किसी प्रदेश में लो और किसी प्रदेश में प्रीमियम क्वालिटी का चमड़ा है, तो वहाँ मिलेट्री शूज अलग प्रदेश में बनें और मजदूर के शूज अलग प्रदेश में बनें। इसी प्रकार ऑफिस वियर शूज अलग प्रदेश में बनें। मैं यह कहना चाहूँगी कि आप इसे गंभीरता से देखें।

महोदय, कर्मचारियों की पेंशन के बारे में कोई स्पेसिफिक आंसर मिला है। इस विषय पर मेरा यह कहना है कि उसकी सिर्फ खानापूर्ति न हो। हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। एफ.डी.डी.आई. सन् 1986 में इस्टैब्लिश हुआ था। मैं कहूँगी कि आज भी एफ.डी.डी.आई. के आठों कैम्पस के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसे अभी तक वैलिड डिग्री नहीं माना गया है। मैं यह पूछना चाहूँगी कि इस डिग्री को वैलिड कब किया जाएगा?

माननीय सभापति: अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। एडमिशन का क्रायटेरिया भी अच्छी तरह क्लियर नहीं है। कौन से ऐसे सेफगार्ड हैं, जिनसे यह गारंटी मिलेगी कि गरीब का बच्चा भी एडमिशन ले पाएगा। इन इंस्टीट्यूट्स की फीस बहुत ज्यादा है। आपने प्रति सेमेस्टर की फीस 56 हजार रुपए तय की है। होस्टल की फीस 18 हजार रुपए रखी गई है। आपने यह बताया है कि इसमें आरक्षित कोटा अलग होगा, लेकिन उस कोटे की फीस क्या होगी, यह आपने नहीं बताया है। इसमें मैं एक बात और जोड़ूँगी कि यह जरूरी नहीं है कि जनरल कोटे वाले सभी लोग प्रति सेमेस्टर 56 हजार रुपए की फीस देने लायक होंगे। आप ग्रामीण इलाकों के बारे में कह रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के केवल रिजर्वेशन प्राप्त लोग ही गरीब नहीं होते हैं, वहाँ जनरल कोटे के लोग भी गरीब होते हैं। यदि आपके विधेयक का मकसद गरीब युवा और महिलाओं को रोजगार देना है, तो मुझे लगता है कि आपको इस फीस में कटौती करनी पड़ेगी। मिनिस्टर साहब मैं फिर कहूँगी कि आपका बिल अच्छा है, लेकिन आप यह जरूर सोचिएगा कि आपकी सरकार की मंशा लैदर से

बनी चीजों को प्रोत्साहित करने की है। आपकी सरकार में ही बहुत बड़ी रूकावट है। यदि सरकार की कथनी और करनी में फर्क हो, तो लोग कंप्यूज हो जाते हैं। आपको इसे तय करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि ...*

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति महोदय, लोक सभा के पटल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा 14 मार्च, 2017 को रखे गए फुटवियर डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेंट बिल, 2017 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विपक्ष की सांसद मित्र ने जब अपना भाषण प्रारंभ किया तो लगभग प्रारंभ में उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने इनका पूरा भाषण बहुत गंभीरता व ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि उनको यह बिल समझ में नहीं आया है और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बिल को ठीक से समझने का प्रयास भी नहीं किया था।... (व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: आपने सही कहा, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क है।

माननीय सभापति: शेखावत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : इन्होंने जितने सारे कमेंट इस बिल को लेकर किए हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रखूंगा, उसमें सारी टिप्पणियों के जवाब इनको यहां मिल जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार का और साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। ऐसे लाखों लाख श्रमिक व इनके परिवार, उनके बच्चे जो इस महत्वपूर्ण उद्योग में लगे हैं, जो उद्योग न केवल भारत में महत्वपूर्ण है, अपितु पूरे वैश्विक बाजार में बहुत महत्व रखता है, ऐसे उद्योग में काम करने वाले एवं संभावनाएं रखने वाले उद्योग में, ऐसे निर्यात और रोजगारोन्मुखी उद्योग में, जिसकी असीम संभावनाएं विश्व भर में हैं, जिसका बाजार लगभग 8 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का है, ऐसे बाजार में भारत की प्रबल संभावनाओं को प्रगाण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह बिल प्रस्तुत किया है।

महोदय, भारत में, जैसा माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि भारत भर में लगभग पिछले दो दशक से ऐसे 7 इन्स्टीट्यूट काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से ये संस्थान पिछले 20 वर्षों में चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में किस

* Expunged as ordered by the Chair

तरह से युवकों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने की दिशा में का काम रहे हैं। फुटवियर डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदया जी ने किया, वर्ष 1986 में प्रारंभ हुए थे। जब ये इंस्टीट्यूट प्रारंभ हुए, तब आरंभ के समय इन संस्थानों में, जो नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, छिन्दवाड़ा, रोहतक और मेरे शहर जोधपुर में स्थापित हुए थे। इन्होंने इस क्षेत्र में फुटवियर डिज़ाइनिंग एण्ड प्रोडक्ट मार्केटिंग में, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, कैंड और कैम ऐसेसरीज़ डिज़ाइनिंग में एवं लैडर गुड्स एण्ड ऐक्सेसरीज़ डिज़ाइनिंग में बी.बी.ए., एम.बी.ए., बी.एस.सी. इस तरह के डिप्लोमाज़ और डिग्री देने की दिशा में काम किया।

15.00 hours

यह केवल जूते से सम्बद्ध नहीं है, अपितु फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए इस विषय में जिस तरह से पिछले बीस वर्षों में हजारो-हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

मेरी मित्र अभी चर्चा के दौरान आशंका व्यक्त कर रही थीं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले बीस वर्षों में इस क्षेत्र में जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा इन-कैम्पस दी गई। जैसा माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि इंडस्ट्री स्पांसर्ड प्रोग्राम के माध्यम से यदि मैं आंकड़ों की चर्चा करूँ तो पिछले दो वर्षों में, जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 1 लाख 45 हजार बच्चों को इन संस्थानों में डेवलप किये हुए करीकुलम के माध्यम से शिक्षा मिली है। यदि मैं केवल इन कैम्पस स्टूडेंट्स की चर्चा करूँ तो पिछले बीस वर्षों में जितने विद्यार्थी इन संस्थानों से पढ़कर निकले हैं, उनमें से 65 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थी नॉन-मैट्रो सिटीज से, छोटे-छोटे गांवों और शहरों से आते हैं। अतः आपकी यह आशंका बिल्कुल निर्मूल है और इसीलिए मैंने कहा कि शायद आपने विषय को समझने का प्रयास नहीं किया।
...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सभापति जी, इनको जो बोलना है, वह बोलने दो, श्रीमती रंजीता रंजन ने बिल को वैलकम किया और उनके कहने का जो मकसद था, वह उन्होंने सदन के सामने रखा। आपको जो कहना है, कहिये। उसे छोड़कर आप बार-बार इन्हें क्यों कह रहे हैं। मिनिस्टर इसका जवाब देंगी, क्या आप इन्हें पूरा जवाब दे रहे हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि मुझे लगा कि शायद उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए मैं विस्तार से उनको समझाने का प्रयास कर रहा था। शायद मेरी ही कुछ नासमझी होगी कि उनकी नासमझी को मैं समझ नहीं पाया।

माननीय सभापति: आप अपनी बात कहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: देश भर में अभी सात संस्थान काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री महोदया का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पांच और नये संस्थान प्रारम्भ करने की दिशा में उन्होंने निर्णय लिया है। जो इस वर्ष 2017 से काम करना प्रारंभ करेंगे। पिछले इतने वर्षों से जो संस्थान काम कर रहे हैं, इन संस्थानों के बारे में यदि मैं केवल जूते के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, यदि मैं डिजाइन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के दूसरे प्रोडक्ट्स को एक तरफ रख दूँ, तो इन संस्थानों ने हमारे भारत की पुलिस के लिए, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके मानकों के आधार पर जिस तरह के जूतों की आवश्यकता देश के पुलिसकर्मियों को थी, हमने इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उस डिजाइन को डेवलप किया। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि देश के 12 प्रदेशों की पुलिस फोर्स इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डेवलप किये हुए जूते पहनकर अपना काम करती है। मैं केवल पुलिस के बारे में ही चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एयर फोर्स, जो भारत की सेना का एक अभिन्न अंग है, आज इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी इन्हीं संस्थानों में निर्मित और डिजाइन किए हुए शूज को काम में ले रहे हैं। एम.टी.एन.एल., इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी इनका उपयोग किया जा रहा है।

मेरी साथी गरीबों के बारे में चिंता व्यक्त कर रही थीं। मैं बताना चाहता हूँ कि देश भर में जो तेंदू पत्ता बीनने वाले लोग हैं, वे बहुत गरीब लोग हैं। उन लोगों के लिए एक लो कॉस्ट जूता इन संस्थानों से डिजाइन हुआ था और लगभग 1 लाख 25 हजार पेयर्स ऑफ शूज उन तेंदू पत्ता बीनने वाले लोगों के द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं।

महोदय, यह अत्यंत डायनेमिक क्षेत्र है, बहुआयामी क्षेत्र है और जो लैडर गुड्स का इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को केवल जूते की तरफ से हटाकर कोल्हापुरी जूते और पंजाबी जूतियों के क्षेत्र में बढ़ाकर लाइफस्टाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्षेत्र दुनिया भर में है, यदि इसे असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र में हमें ले जाना है तो अभी सात संस्थान काम कर रहे हैं और इनमें पांच और नये संस्थान जुड़ने वाले हैं। क्योंकि एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथारिटी नहीं होने के कारण, एक ऐसी संस्था नहीं होने के कारण से जो इन सारे संस्थानों में एक करिकुलम डिजाइन कर सके। जो इन सारी संस्थाओं के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सके, जो इन सारे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को मान्यता प्रदान कर सके, ऐसी एक संस्था नहीं होने के कारण से इस असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र में काम कर रहे इंस्टीट्यूट्स के सामने परेशानी आ रही है।

अभी एक परेशानी की चर्चा माननीया मंत्री महोदया ने हम सबके सामने की कि वर्ष 1986 में स्थापित होने के बाद में जो ये संस्थान डिप्लोमा देते थे, उन डिप्लोमाज को (इग्नू) इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक करार, जो वर्ष 2010 में हुआ था, उसके द्वारा सर्टिफाई किया जाता था।

कालान्तर में जिस तरह एक टेक्निकल रीजन के कारण से यकायक इग्नू ने जब यह सुविधा बन्द की, उसके बाद में जिस तरह की परिस्थिति इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के सामने आयी, अनेक प्रयास किये गये, मैं उनकी वैधानिकता और उस समय की सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन उस समय में जिस तरीके से मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ करार किया गया और बाद में जिस करार को यूजीसी ने अवैधानिक घोषित किया, उसके बाद में वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2015-16 तक के बैच के छात्रों के सामने एक संकट खड़ा हो गया था। उस संकट के समाधान की भी आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनन्दन करना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय का कि मेरे शहर में पढ़ने वाले और मेरे शहर जैसे सात अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले लगभग 3,709 विद्यार्थियों के अंधकारमय भविष्य को वापस उजाले की ओर ले जाने का काम इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने और हमारी माननीया मंत्री निर्मला जी ने किया है।

महोदय, भारत की जो लैदर इंडस्ट्री है, जो चमड़ा और जूता उद्योग है, निश्चित रूप से यह रोजगारोन्मुखी उद्योग है और इसमें 25 लाख लोग काम करते हैं। 25 लाख लोगों को रोजगार देने की संभावना वाला जो यह उद्योग है, इसमें लगभग-लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ हैं और अत्यंत पिछड़े, गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। यदि हम इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की दक्षता को बढ़ायें, हम उनकी स्किल का डेवलपमेंट करें और जैसा हमारी सरकार ने निर्णय किया, मैंने अभी आपके सामने जो बात कही कि एक लाख 45 हजार बच्चों को हमने पिछले दो साल में इन संस्थानों के माध्यम से डेवलप किये हुए करिक्युलम से पढ़ाया है। उनकी स्किल को इन्हेंस किया है और महोदय, मैं अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस स्किल इन्हेंसमेंट के कारण आज उनमें से एक लाख 37 हजार बच्चों को रोजगार मिला है। जो कैम्पस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वहाँ से कैम्पस एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, उनका 100 परसेंट कैम्पस प्लेसमेंट हो रहा है।

महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों को यदि नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाये और इस बिल के माध्यम से जो नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देने का काम किया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ।

महोदय, जब देश के सबसे ज्यादा निर्यात करने की संभावनाओं वाली दस इंडस्ट्रीज को आइडेन्टिफाई किया गया, उन दस में से एक इंडस्ट्री यह लैदर इंडस्ट्री भी है। यह जो डिजाइन और डेवलपमेंट की बात है, जिस बात की रूपरेखा इस बिल में की गई है, यदि हम अपनी मैनपावर को दक्ष करते हैं, प्रवीण करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि यह आठ लाख करोड़ रुपये की आज इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में चाइना आज सबसे बड़ा प्लेयर है, दूसरे नम्बर पर भारत आता है। इस आठ लाख करोड़ रुपये की

इंडस्ट्री में यदि हम अपना निर्यात देखते हैं, क्योंकि जितना मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में कर रहे हैं, उसका 95 परसेंट हिस्सा हमारी इनडिजिनियस, हमारे देश की खपत में काम आता है। हम केवल 2.2 बिलियन का ही निर्यात कर पा रहे हैं। इस 126 बिलियन की इंडस्ट्री में केवल 2.2 परसेंट निर्यात की हमारी क्षमता है। यदि इसको बढ़ाना है तो असीम संभावनाओं वाला यह क्षेत्र है। जिस तरह से सारे आर्थिक विश्लेषण करने वाले संस्थानों ने जो दस क्षेत्र इस देश के लिये हैं, जहाँ अत्यंत संभावनाएँ हैं, निर्यात की संभावनायें हैं, उन्हें जब चिन्हित किया, उसमें जैसा मैंने कहा कि इस एक क्षेत्र को भी चिन्हित किया है।

महोदय, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनायें विश्व भर में हैं। यदि हमें उन संभावनाओं का दोहन करना है और आने वाले समय में हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें इस क्षेत्र में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

महोदय, जैसा मैंने कहा, क्योंकि एक रेग्युलेटरी संस्थान नहीं होने के कारण से इन संस्थानों के सामने जो दिक्कत आ रही थी और दूसरा, बीच के समय में विद्यार्थियों को डिग्री देने में जो समस्या आ रही थी, इन दोनों का इस बिल के माध्यम से समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श करने की चर्चा की, तो उसका समाधान निकालने के लिए पहले इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की भी चर्चा हुई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करना चाहता हूँ कि न केवल इन्होंने उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर विराम लगाया, अपितु इसे सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस और इंस्टीच्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाने का यह बिल हम सब के सामने प्रस्तुत किया है।

इस बिल में इस संस्थान को जिस तरह से परिचालित किया जाएगा, यदि मेरी मित्र ने इसे पढ़ा होता तो उसमें इस बात का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि इसमें किस तरह की व्यवस्था की गयी है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के एक सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, इंडस्ट्री के इन्पुट के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह से इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता है, उन सबको समाहित करते हुए इसकी गवर्निंग काउंसिल बनाने का निर्णय इस बिल के माध्यम से उन्होंने किया है। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, जिस तरह से इन संस्थानों का परिचालन होगा, हमारी सरकार की जो नीति है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, तो यदि आप इस बिल को एक बार पढ़ें तो इस बिल में आप निश्चित रूप से पाएंगे कि इसमें जो नियम और उपबंध बनाए गए हैं, उनमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। अपने इंस्टीच्यूट को इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के माध्यम से, वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें परिचालन की

स्वायत्तता देकर प्रॉपर गवर्नेंस के साथ ऐसे इंस्टीच्यूट खड़े हों, ऐसे इंस्टीच्यूट काम करें, इस दिशा में हमने यह कदम उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, दुनिया की जो ऑर्गेनाइज्ड शू इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइज्ड लेदर इंडस्ट्री है, उसमें केवल शू इंडस्ट्री की बात करूं तो 126 बिलियन यू.एस. डॉलर्स का उसका मार्केट है। यह जो 126 बिलियन यू.एस. डॉलर्स का मार्केट है, इसमें हम केवल 2.2% निर्यात कर पाते हैं।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ अभी निर्णय लिए हैं, मेरी मित्र अभी उसकी चर्चा कर रही थीं। उन्होंने केवल अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई है। दुनिया भर में जितने कैटल्स हैं, उसका 22% गाय और भैंस हमारे देश में हैं, 11% भेड़ और बकरियां हमारे देश में हैं। जो वैधानिक तरीके से काटे जाने वाले जानवर हैं, उनके माध्यम से जो चमड़ा हमें मिलता है और जिस तरीके से एक रॉ मैटेरियल की उपलब्धता हमारे पास है, उसमें अगर हम अपने लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष करें, यदि हम अपनी डिज़ाइनिंग सेंस को डेवलप करें तो हमें बहुत लाभ होगा। हम ऐसे देश के निवासी हैं।

अभी मेरी मित्र चर्चा में पंजाबी जूतियों की बात कर रही थीं। मैं जोधपुर से आता हूं। हमारे जोधपुर में जूती बनाई जाती है और जोधपुर के कई कारीगरों को उसके लिए पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। हमारे यहां स्किल की कमी नहीं थी, हमारे यहां किसी भी तरह की तकनीकी प्रवीणता की कमी नहीं थी। पीढ़ी-परम्परा से हमारे कारीगर इस तरह की दक्षता सीखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से, जो बीच का समय था, अंग्रेजों का और उसके बाद अंग्रेजियत की मानसिकता रखने वालों का जो काल था, उस काल में जिस तरह से तकनीक का हास हुआ, उसके कारण से जो हमारे पारम्परिक श्रमिक थे, वे इन कामों से दूर हुए। उस दुष्परिणाम को दूर करते हुए इसकी संभावना के क्षेत्र में दक्षता के साथ अपने युवकों को खड़ा रखने के लिए हम यह बिल लाए हैं।

अभी वर्तमान में यदि मैं विश्व के परिदृश्य की चर्चा करूं तो भारत में हम जितनी जोड़ी जूते बनाते हैं और भारत की जितनी आबादी है, उसके अनुपात में यदि इस बात की तुलना करूं तो भारत का प्रत्येक आदमी लगभग 1.1 जोड़ी जूते साल भर में खपत करता है।

माननीय सभापति महोदय, आप और मैं, दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोग एक चमरौधे का जूता खरीदा करते थे और कई-कई सालों तक उसे चलाया करते थे। हम प्रति वर्ष प्रति पेयर औसतन 1.1 जूते का उपभोग करते हैं। यदि मैं विकसित देशों की चर्चा करूं, यदि मैं चीन की बात करूं तो यह औसत लगभग 3 और 4 जोड़ी जूते का आता है। यदि मैं और भी विकसित देशों, जैसे अमेरिका की, यू.के. की और यूरोपियन देशों की बात करूं तो यह औसत 6 और 7 जोड़ी जूते का आता है। केवल नाइकी, जो एक जूता बनाने वाली कंपनी है, उसमें साढ़े तीन लाख लोग काम करते हैं। यदि उसमें मैं भारतीयों का

प्रतिशत ढूँढने जाऊं तो वह बहुत कम होता है। वह इसीलिए होता है, क्योंकि उस तरह की तकनीकी दक्षता, जिस तरह की उस इंडस्ट्री में आवश्यक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उस तरह की तकनीकी दक्षता की अभी हमें आवश्यकता है।

जो सीएजीआर की स्टडीज हैं, उनके अनुसार भारत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम विकासशील देश के रास्ते से विकसित देश की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2030 तक भारत सुपर पॉवर्स में सम्मिलित होगा, इस बात की संभावनाएं पूरा विश्व व्यक्त कर रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से आने वाले दस सालों में भारत की प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष जूते की खपत बढ़कर, अभी जो 1.1 जोड़ा प्रति वर्ष है, वह बढ़कर 4 जोड़ा प्रति वर्ष होने वाली है। हमारी जो अपनी आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति के साथ-साथ, जो विश्व भर की बढ़ने वाली खपत है, उन सबमें हमारे लोग दक्षता के साथ काम कर सकें।

यदि मैं आंकड़ों की बात करूं, तो चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के 65 प्रतिशत जूता उद्योग पर चाइना की पकड़ है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी अगर मैं वोल्यूम की बात करूं, तो 65 प्रतिशत विश्व के जूते चाइना निर्माण करता है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जो आज हमारे लिए आवश्यकता का बिंदु है, उसके हिसाब से केवल 13 पर्सेंट वैल्यू के जूते या फुटवेयर चाइना एक्सपोर्ट कर पाता है। हमको वैल्यू की तरफ जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम जो काम करें, उसमें जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, यह प्रिंसिपल उन्होंने दिया है कि इस दिशा में काम करें। जीरो डिफेक्ट में, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं कि देश भर में, दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट्स श्रेष्ठ प्रोडक्ट्स के रूप में पहचाने जाएं।

हम उस देश के निवासी हैं, ढाका में जो मलमल बनती थी, उसकी काउंट जितनी होती थी, उतनी काउंट का कपड़ा आज तक नहीं बन पाया। हम उस देश के निवासी हैं, जो लौह स्तम्भ कुतुब मीनार के सामने खड़ा किया गया, उस लौह स्तम्भ के ऊपर आज 600- 700 वर्ष बीत जाने के बाद में भी जंग नहीं लगा है, उसकी मेटलर्जी को डिफाइन नहीं किया जा सका है। उस देश में हम इस तरह के जीरो डिफेक्ट के प्रोडक्ट्स वापस बनाना शुरू करें, ताकि विश्व भर में, इस मार्केट में हम अपना शेयर और ज्यादा बढ़ा सकें। जीरो इफेक्ट की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है।

अत्यन्त श्रद्धा के साथ मैं मैं पुनीत, पतित, पावनी गंगा को प्रणाम करते हुए इस सदन में कहना चाहता हूं कि अभी मेरी मित्र चर्चा कर रही थीं कि गंगा के नाम पर इंडस्ट्री को हरैस किया जा रहा है। हम जीरो इफेक्ट की बात करने वाले लोग हैं। अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण से, जिस तरह से उद्योग धंधे विकसित करने के कारण से आज चाइना में जिस तरह का कष्ट हुआ है, जिस तरह से पर्यावरण को क्षति

हुई है, हम पर्यावरण को भी क्षति होने नहीं दें, जीरो इफेक्ट हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पर्यावरण के ऊपर आए और हम अपने देश की इस इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट कर सकें और ज्यादा आगे बढ़ा सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहना चाहूंगा कि इस बिल के बाद जिस तरह से एक सेंट्रल अथारिटी डेवलप होगी और सेंट्रल अथारिटी डेवलप होने के बाद में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिस तरह से काम करने वाले लोगों को और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नए लोग जुड़ सकें, उस दिशा में जो फायदे होंगे, मैं उनकी चर्चा करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।

इस बिल के माध्यम से यह जो फुटवियर एंड लैदर प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट की एजुकेशन है, इसको एक आल्टरनेटिव कैरियर के रूप में अपनाने के लिए हमारे विद्यार्थी प्रेरित होंगे। हमारी जो फैकल्टी है, वह भी इसको एक अल्टरनेटिव कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारी मित्र, जो अभी बात कर रही थीं, इनके क्षेत्र के भी कुछ युवक हमारे यहां के संस्थानों में आएँ और संस्थानों में आकर इस प्रकार की रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें। एक हॉलिस्टिक मैनर में शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वे डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, लैदर गुड्स की इस लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, लैदर गुड्स की इस संभावनाओं की इंडस्ट्री के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करें। मैं इनका स्वागत करूंगा कि इनके क्षेत्र के विद्यार्थी भी हमारे यहां के विद्या संस्थानों में आएँ।

आज इंटरनेशनल और नेशनल इंपार्टेंस के इंस्टीट्यूट बनाने की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है और यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से और अधिक संस्थान खुलें। हम नीड्स के प्रति रिस्पॉंसिव होते हुए इंडस्ट्री में डायनामिज़्म और अभी हम क्वांटिटेटिव दिशा में काम कर रहे हैं, उसे क्वालिटेटिव दिशा में आगे ले जा सकें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इस महत्वपूर्ण बिल पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Sir, I thank you for giving me permission to speak on this Bill. I welcome the Footwear Design and Development Institute Bill, 2017. I am very glad with this initiative of the ever-like Minister to give authentication to such an Institution so far as degrees and diplomas are concerned.

Footwear, other leather and allied materials make bags, wallets, briefcases, accessories used in automobiles, furniture, interior decoration are widely used in modern life. These are widely traded commodities globally. The first keyword in the Bill is 'design'. The design, material and make tell about status, style, position and profession of a person and establishment. Therefore, it is very important. Proper fitting, as already narrated by my colleague, design and sole material and made to fit is essential to keep gait, figure, orthopaedic requirement and so on.

Cinderella was identified by shoes. So, they are people's identity also. In a saddest story in the history of Bengal and India, Nawab Sirajuddulah while fleeing in a boat from Bhagwangola, he was in disguise but because he could not part with his shoes, the spy boat man identified him. He was captured and the British got entry to India.

Presently, trend of leather interior furniture, fashion dresses and articles have increased. The scope of footwear and leather designing is becoming popular all over the world. On the health sector, besides designing for orthopaedic uses in different shapes, shoes prevents some contaminated disease. It is a very simple disease but it is dangerous. It is called hook worm and other worm infestation. It is caused due to open defecation, which is a major cause of anaemia in our rural population. The worm goes *via* foot sole to blood. In pre-toilet era under NRHM programme, Tamil Nadu, West Bengal and many other States supplied *hawai* chappals to villagers and BPL category public to prevent them from this disease. This simple solution of safeguarding foot from soils and dirt was also narrated

long back in "Juta Abiskar" (Discovery of Shoe) satire poem of Rabindranath Tagore.

The second key point is 'development' which means research and innovation of newer models, research and invention of newer alternatives as it is very much necessary in the present context of our political situation. Indian leather and allied industry has scope of growth in terms of local consumption as well as global export. In global perspective, China is number one; Italy in second and India is in the fifth position. In matters of raw material, local consumption as well as export, in China everything is good and that is why it is in first position. India also has enormous scope of improving leather industry because we can get the materials. But for some reason or the other, it may be stopped in near future. India is shifting from mere raw material to value added exports also. Local consumption is also increasing. There is every scope for this leather industry to flourish and it is very valuable for Indian economy. But I do not know how much we can do in the present situation. India shares about 12.2 per cent of global export and in coming years it will be much more if we try and do not put any barriers in the production of raw materials. Major share of export goes to US, then UK (12.24%) and then Germany. In export, footwear contributes about 47 per cent, in accessories it contributes about 23 per cent and in finished products, its contribution is about 18 per cent and in garments it is 9 per cent of the total exports. But at this juncture, the footwear export is little less. The per capita footwear use has also increased. In India, Kolkata holds second position in India in production as well as exports. Twenty-five per cent of tanning is done in Kolkata and fifty per cent of finished leather goods of India are exported from Kolkata.

Footwear and leather industry plays a vital role in Indian economy. Besides export, this industry is mostly labour intensive and it has huge scope for youth employment, especially when they will be skilled labour, under supervision of qualified administrators. In leather industry, there are quite a good number of women folk who are, as has already been mentioned by Shrimati Ranjit Ranjan,

mostly in the unorganised sector. They do the basic work at home. They may be women as also men. Previously, in Kolkata, there were many Chinese workmen who were very good but now they have all left. They help in finished product preparation. So, this is an industry which has immense scope for women empowerment. I do not know how much will the establishment of this Institute help in doing that. I will come to that later. That is why there is a question about the present institution whether it is an institution of national importance or not. Yes, this could be, but with some policy changes.

15.28 hours

(Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

This Bill is very relevant in this context. It deals with an establishment of an institution for education, research and innovation with modern techniques as regards footwear and other leather products. Clause one is regarding title of the Bill. I wonder why it only has the name 'footwear'. There are other allied subjects also. I would like to know whether instead of 'footwear' alone, other articles like leather and other allied articles will be incorporated in the Title of the Bill. The Bill is regarding establishment of an educational institution to uplift the footwear and leather industry to a national and international standard. We are hoping for more and more.

The directive body, as has been said, will have a Governing Council with Chairman, Managing Director and such persons who are all footwear and leather technology experts. I also agree with Shrimati Ranjit Ranjan that why should industrialists be there in the Governing Council? It is because that may create a problem and it might get directed the other way round and instead of youth employment, it might enrich the pocket of some other people. The Bill deals with formation, running, remuneration, tenure and status of the Council. Of course, the central controlling authority will be Govt. of India. Study and working courses will be determined and decided by the Council. The courses are about designing, making, research and other things. But this leather institution under LDC was

already in existence but they have no power to confer a degree or diploma to authenticate their expert knowledge. Through this Bill, we are trying to give some degrees.

My question is, what the hell will it do giving diploma degrees to these fellows? Where will they be employed exactly? It is not clear in my mind. Maybe, the hon. Minister will guide me on this point.

Our worry is about actually what is needed. The Centre should be involved with the Skill Development Centers so that smaller productions and smaller tanning institutions will employ skilled persons resulting in more growth.

Relation among the branches is not clear. There are several branches. What is the relationship between inter-branches? How will you recruit students and how will you recruit teachers? What is the qualification of the teachers? These are not clear in this Bill. How will they be able to bear the tuition fees? What about promotion of skilled workers through these institutions?

We want to establish small factories or big factories. You know that in Kolkata or Kolhapur there were factories. Bata Shoe Company and Khadims are famous all over the country. How can this be utilized and how will man power be given to them through this Bill? These are my questions.
